



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या: प्रशासन/ लेखापरीक्षा /A/2025/184

दिनांक: 24.07.2025

### कार्यालय आदेश

मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1-स्टाफ विंग/2014 जिसे संख्या 10-स्टाफ (नियुक्ति-II) 63-2013 दिनांक 06.01.2014 द्वारा परिचालित किया गया है, में निहित निर्देशों के अनुसार और इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या प्रशासन/लेखापरीक्षा/ए/2025/31 दिनांक 14.01.2025 के अनुक्रम में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा Group A (Non- IA&AS) officers, Group 'B' Gazetted officers तथा Group 'B' (Non-Gazetted) & Group 'C' officials के अंतर-कार्यालय स्थानांतरण और तैनाती पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए नीचे दी गई संरचना के अनुसार स्थानांतरण एवं तैनाती बोर्डों (Transfer & Posting Board) का पुनर्गठन करने के आदेश दिए हैं।

#### Group A (Non- IA&AS) officers:

1. वरि०/उप महालेखाकार (प्रशासन) (पदेन)
2. सुश्री राजवंत कौर, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- III)
3. सुश्री अम्बिका रैना, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- II)  
(स्वीकारीय प्रधीकारी: प्रधान महालेखाकार)

#### Group 'B' Gazetted officers:

1. वरि०/उप महालेखाकार (प्रशासन) (पदेन)
2. सुश्री राजवंत कौर, उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- III)
3. वरि० लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) (पदेन)  
(स्वीकारीय प्रधीकारी: प्रधान महालेखाकार)

#### Group 'B' (Non-Gazetted) & Group 'C' officials:

1. वरि० लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) (पदेन)
2. श्री मनोहर लाल ग्रेवाल, वरि० लेखापरीक्षा अधिकारी (राज्य वित्त)
3. श्रीमती शैल गुप्ता, वरि० लेखापरीक्षा अधिकारी (समन्वय एवं रिपोर्ट)  
(स्वीकारीय प्रधीकारी: वरि०/उप महालेखाकार (प्रशासन))

संबंधित बोर्ड के सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ सदस्य उस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय से बाहर की सभी स्थानांतरण एवं तैनाती केवल विभाग के प्रमुख के अनुमोदन से की जाएगी।

उपरोक्त बोर्ड प्रशासन अनुभाग द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर, प्रशासनिक आवश्यकताओं, प्रत्येक संवर्ग में कर्मियों की उपलब्धता, मुख्यालय तथा फील्ड लेखापरीक्षा (field audit) के लिए अधिकारियों की तैनाती को ध्यान में रखते हुए, स्थानांतरण के लिए व्यक्तिगत अनुरोध, एक अनुभाग/समूह में अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यकाल और समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए अन्य दिशानिर्देश Group A (Non- IA&AS) officers, Group 'B' Gazetted/ Non-Gazetted officials & Group 'C' officials के अंतर-कार्यालय स्थानांतरण/तैनाती के सभी मामलों पर विचार करेंगे।

प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार महोदय के आदेश दिनांक: 23.07.2025

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)